

जल उपचार संयंत्र के उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित और उपयोग किया गया। यही कारण था कि राज्य सरकार द्वारा धारा 17 (2) के प्रावधानों का उपयोग किया गया था। हम उत्तरदाता के लिए विद्वान वकील की याचिका में बल पाते हैं और यह नहीं पाते हैं कि तात्कालिकता प्रावधानों को गलत तरीके से लागू किया गया था। यह ध्यान दिया जा सकता है कि अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी करते समय, तत्काल प्रावधानों को लागू नहीं किया गया था और भूमि मालिकों को अधिनियम की धारा 5ए के तहत आपत्तियां दर्ज करने की अनुमति दी गई थी। इसे ध्यान में रखते हुए, अधिनियम की धारा 17 (2) के तहत की गई कार्रवाई को सही नहीं माना जा सकता है।

(15) परिणामस्वरूप, हम रिट याचिका में कोई बल नहीं पाते हैं और इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

जे एस टी।

न्यायमूर्ति जी. सी. गर्ग और एन. के. अग्रवालके समक्ष

शांति सरूप शर्मा, -याचिकाकर्ता

बनाम

आय कर आयुक्त, हरियाणा, रोहतक और अन्य-उत्तरदाता।

1997 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 6879

1 दिसंबर, 1998

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226/227—आयकर अधिनियम, 1961-धारा 273-ए-प्राप्त ब्याज पर कर का भुगतान न करने के लिए जुर्माना-अधिग्रहित भूमि-याचिकाकर्ता ने ब्याज के साथ मुआवजे का भुगतान किया-नियमित करदाता नहीं-प्राप्त मुआवजे की राशि पर आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं-ब्याज की प्राप्ति का अनुमान तब तक नहीं लगा सकता जब तक कि अंत में निर्धारित नहीं किया जाता-उसी मूल्यांकन वर्ष में अग्रिम कर का भुगतान नहीं करना चाहिए जिसमें 'ब्याज' प्राप्त हुआ हो-जुर्माने की शुल्क अनुचित है।

अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता की याचिका में काफी बल है कि वह तब तक ब्याज की प्राप्ति का अनुमान नहीं लगा सकता जब तक कि यह अंततः सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। इसलिए, याचिकाकर्ता को उस निर्धारण वर्ष में अग्रिम कर का भुगतान नहीं करना था जिसमें ब्याज अर्जित हुआ था। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता को पूर्ववर्ती वर्षों में आय का प्रतिफल दायर करने में विफलता के लिए दंड के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 273-ए में निर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा किया है। उन्होंने निर्धारण अधिकारी द्वारा उन्हें नोटिस जारी करने से पहले रिटर्न दाखिल की। उन्होंने स्वेच्छा से और अच्छे विश्वास के साथ रिटर्न दाखिल किया। उन्होंने कर निर्धारण योग्य अपनी आय का

पूर्ण और सही खुलासा भी किया। उन्होंने मूल्यांकन के दौरान सहयोग किया और घोषित आय को मूल्यांकन अधिकारी ने स्वीकार भी कर लिया। कर की राशि का भुगतान याचिकाकर्ता द्वारा किया गया था। अतः यह स्पष्ट होगा कि याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 273-ए के तहत सभी शर्तों को पूरा किया था। इस संदर्भ में, जुर्माना लगाना उचित नहीं पाया गया है। आयुक्त निष्पक्ष, न्यायसंगत और विवेकपूर्ण तरीके से विवेक का प्रयोग करने में विफल रहे हैं।

(पैरा 16)

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226/227—आयकर अधिनियम, 1961-धारा 273-ए-दायरा-धारा आयुक्त को ब्याज और जुर्माने को कम करने या माफ करने का अधिकार देती है-शक्ति विवेकाधीन है-हालांकि, शक्ति मनमानी या मनमौजी नहीं हो सकती है, इसे विवेकपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए।

अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 273-ए आयुक्त को ब्याज और दंड को कम करने या माफ करने का अधिकार देती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 273-ए के तहत आयुक्त को दी गई शक्ति विवेकाधीन है। आयुक्त को विवेकाधिकार दिया जाता है कि जब उस धारा द्वारा परिकल्पित अपेक्षित शर्तें पूरी हो जाती हैं तो वह अधिनियम के तहत लगाए गए जुर्माने या ब्याज को माफ या कम कर सकता है। हालांकि, विवेक का प्रयोग मनमानी या मनमौजी नहीं हो सकता है और इसे विवेकपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा किया जाता है, तो सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विवेक का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। विवेकाधीन शक्ति के प्रयोग के लिए संतुष्टि एक वस्तुनिष्ठ संतुष्टि होनी चाहिए न कि एक व्यक्तिपरक संतुष्टि। धारा 273-ए आयुक्त को कोई भी आदेश पारित करने के लिए पूर्ण विवेकाधिकार प्रदान नहीं करती है जो वह करना चाहता है। उसे योग्यता के आधार पर आवेदन पर विचार करना आवश्यक है। यदि शक्तियों के प्रयोग की शर्तों को पूरा किया जाता है, तो वह निर्धारित के पक्ष में विवेक का प्रयोग करने के लिए बाध्य है।

(पैरा 9)

ए. के. मित्तल; अधिवक्ता, -याचिकाकर्ता के लिए

उत्तरदाताओ की ओर से श्री आर. पी. साहनी, वरिष्ठ अधिवक्ता और राजेश बिंदल, अधिवक्ता

निर्णय

एन. के. अग्रवाल, न्यायमूर्ति

(1) यह आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में, "अधिनियम") की धारा 273-ए और 154 के तहत आयकर आयुक्त द्वारा पारित 25 मार्च, 1996 और 27 दिसंबर, 1996 के आदेशों को रद्द करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत एक याचिका है।

(2) याचिकाकर्ता के पास कुछ कृषि भूमि थी। 13 फरवरी, 1991 को अपनी भूमि के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप उन्हें हरियाणा सरकार से मुआवजा मिला। उन्हें मुआवजे की राशि पर कई वर्षों तक ब्याज भी मिला। वह अलग-अलग वर्षों के लिए प्राप्त ब्याज आय पर आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। याचिकाकर्ता ने ब्याज से आय दशाति हुए विभिन्न मूल्यांकन वर्षों के लिए विवरणी दाखिल की। मूल्यांकन

अधिकारी ने 31 अगस्त, 1992 को अधिनियम की धारा 143 (1) के तहत मूल्यांकन वर्षों 1982-83 से 1988-89 के लिए मूल्यांकन पूरा किया। निर्धारण अधिकारी ने उपरोक्त निर्धारण वर्षों के लिए अधिनियम की धारा 139 (8) और 217 के तहत ब्याज भी लिया जो 2,30,881 रुपए बना। निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 271 (1) (ए) के तहत बिना उचित कारण के विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए भी जुर्माना लगाया।

(3) याचिकाकर्ता ने आयकर आयुक्त के समक्ष अधिनियम की धारा 273-ए के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें उपरोक्त मूल्यांकन वर्षों के लिए लगाए गए ब्याज और जुर्माने को माफ करने की मांग की गई। आयुक्त ने केवल 50 प्रतिशत की सीमा तक राहत दी।

(4) याचिकाकर्ता के वकील श्री ए. के. मित्तल ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता ने स्वेच्छा से रिटर्न दाखिल किया था और सभी मूल्यांकन वर्षों के लिए स्व-मूल्यांकन के माध्यम से वापस की गई आय पर कर का भुगतान भी किया था। इसलिए, ब्याज लेने और जुर्माना लगाने का कोई औचित्य नहीं था। याचिकाकर्ता ने पूर्ण राहत की मांग करते हुए अधिनियम की धारा 154 के तहत आयकर आयुक्त के समक्ष एक आवेदन भी दायर किया। हालाँकि, उस आवेदन को आयुक्त ने अस्वीकार कर दिया था।

(5) याचिकाकर्ता के वकील श्री ए. के. मित्तल का तर्क है कि याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 273-ए में निर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा किया और इसलिए वह ब्याज और जुर्माने की पूर्ण छूट का हकदार था। एक बार शर्तों को पूरा करने के बाद, आयुक्त द्वारा विवेक का प्रयोग मनमाना नहीं होना चाहिए बाकायदा न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होना चाहिए। धारा 273ए द्वारा प्रदत्त शक्ति का सही और उचित रूप से प्रयोग किया जाना था। जब सभी आवश्यकताओं को पूरा किया गया तो ब्याज और जुर्माने को पूरी तरह से माफ नहीं करने का कोई औचित्य नहीं था। ब्याज और जुर्माने को केवल 50 प्रतिशत तक कम करते हुए आयुक्त द्वारा कोई उचित कारण नहीं बताए गए। चूंकि याचिकाकर्ता ने उसे कोई नोटिस जारी करने से पहले स्वेच्छा से विवरणी दाखिल की थी, इसलिए वह छूट का लाभ पाने का हकदार था। उन्होंने अलग-अलग वर्षों से प्राप्त अपनी ब्याज आय का पूरा और सही खुलासा किया था। क्षतिपूर्ति, बढ़े हुए मुआवजे और ब्याज 13 फरवरी, 1991 को दिए गए थे। 31 मार्च, 1992 को विवरणी दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता ने निर्धारित आय पर कर का भुगतान किया। निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 143 (1) के तहत मूल्यांकन किया गया था, इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा दिखाई गई ब्याज आय को स्वीकार किया गया था।

(6) याचिकाकर्ता के वकील श्री ए. के. मित्तल ने आगे तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता मुआवजे की प्राप्ति से पहले यह कल्पना नहीं कर सकता था कि अग्रिम कर का भुगतान किया जाना चाहिए और रिटर्न पहले के मूल्यांकन वर्षों में दाखिल किया जाना चाहिए। पहले के प्रासंगिक वर्षों में न तो ब्याज की राशि का अनुमान लगाया गया था और न ही प्राप्त की गई थी। इसलिए याचिकाकर्ता ब्याज की राशि को पहले आय के रूप में नहीं दिखा सका। धारा 139 (8) और 217 के प्रावधान ब्याज वसूलने के उद्देश्यों के लिए आकर्षित नहीं किए गए थे। श्री मित्तल ने आगे तर्क दिया है कि जुर्माना भी देय नहीं था, क्योंकि याचिकाकर्ता ने पहले रिटर्न दाखिल नहीं किया था क्योंकि ब्याज प्राप्त नहीं हुआ था।

(7) श्री मित्तल ने हमारा ध्यान परिपत्र नं. एफ. नं. 212/495/92-आई. टी. ए. II, दिनांक 2 मई, 1994 कि और खींचा जो कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी किया गया था। परिपत्र में कहा गया है

कि अधिनियम की धारा 234ए, 234बी और 234सी के तहत ब्याज को मुख्य आयुक्त या महानिदेशक द्वारा कम या माफ किया जाएगा, यदि उस पिछले वर्ष की समाप्ति के बाद पारित किसी न्यायालय, वैधानिक प्राधिकरण या सरकार के किसी आदेश के संचालन के कारण किसी पिछले वर्ष के लिए कोई आय अर्जित या उत्पन्न हुई थी। हालाँकि, यह आवश्यक है कि संबंधित वर्ष के लिए आय की वापसी में प्रासंगिक आय का खुलासा किया जाए और उस पर कर का भुगतान किया जाए। धारा 234ए धारा 139 (8) के समान है और धारा 243बी अधिनियम की धारा 217 के समान है। इसलिए, श्री मित्तल ने प्रस्तुत किया है कि अधिनियम की धारा 139 (8) और 217 के तहत ब्याज वसूलने के प्रश्न पर विचार करते समय अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा ब्याज माफी के संबंध में उपरोक्त परिपत्र में निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। श्री मित्तल ने कहा कि अधिक से अधिक एक वर्ष (1 अप्रैल, 1991 से 31 मार्च, 1992) का ब्याज लिया जा सकता था। याचिकाकर्ता एक नियमित निर्धारित नहीं था और याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त मुआवजे की राशि कर योग्य नहीं थी, क्योंकि यह राशि कृषि भूमि के अधिग्रहण पर प्राप्त मुआवजा थी।

(8) दूसरी ओर, प्रतिवादीगण के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री आर. पी. साहनी ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता अलग-अलग वर्षों के लिए आय विवरणी दाखिल करने के लिए कानूनी दायित्व के अंतर्गत आता था। उन्होंने 31 मार्च, 1992 को रिटर्न दाखिल किया, हालाँकि उन्हें 13 फरवरी, 1991 को हरियाणा राज्य से मुआवजा और ब्याज मिला था। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को विवरणी दाखिल करने में अत्यधिक लंबा समय लगा। आयुक्त ने अधिनियम की धारा 273ए के तहत याचिकाकर्ता के आवेदन पर निर्णय लेते हुए ब्याज और जुर्माने की राशि को निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित राशि के 50 प्रतिशत तक कम करने के कारण बताया। धारा 273ए के तहत शक्ति का प्रयोग आयुक्त द्वारा इस तरह से किया जाना था कि वह न्यायसंगत और उचित समझे। यह एक विवेकाधीन शक्ति थी। आयुक्त ने उचित रूप से ब्याज और जुर्माने को केवल 50 प्रतिशत तक कम कर दिया। उन्होंने अपने आदेश में कारण बताया। यह पूर्ण छूट का मामला नहीं था क्योंकि याचिकाकर्ता ने ब्याज की प्राप्ति के एक साल से अधिक समय के बाद कर का भुगतान किया था। अधिनियम की धारा 154 के तहत आयुक्त के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन नहीं बनता था क्योंकि आयुक्त के आदेश में कोई स्पष्ट गलती नहीं थी। श्री साहनी ने यह भी तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता द्वारा बताया गया बोर्ड का परिपत्र यहाँ आकर्षित नहीं होता क्योंकि यह अधिनियम की धारा 234ए, 234बी और 234सी के तहत लगाए गए ब्याज की माफी से संबंधित था।

(9) विवाद, जो प्रतिद्वंद्वी विवादों से उभरता है, अधिनियम के 273ए के दायरे के बारे में है। उक्त धारा आयुक्त को ब्याज और जुर्माने को कम करने या माफ करने का अधिकार देती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 273ए के तहत आयुक्त को दी गई शक्ति विवेकाधीन है। जब उस धारा द्वारा परिकल्पित अपेक्षित शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो आयुक्त को विवेकाधिकार दिया जाता है कि वह अधिनियम के तहत लगाए गए जुर्माने या ब्याज को माफ या कम कर सकता है। हालाँकि, विवेक का प्रयोग मनमाना या मनमौजी नहीं हो सकता है और इसे विवेकपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। यदि विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा किया जाता है, तो सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विवेक का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। विवेकाधीन शक्ति के प्रयोग के लिए संतुष्टि एक वस्तुनिष्ठ संतुष्टि होनी चाहिए न कि एक व्यक्तिपरक संतुष्टि। धारा 273ए आयुक्त को कोई भी आदेश पारित करने के लिए निरपेक्ष विवेकाधिकार प्रदान नहीं करती है, कि वह अपना मनमानी कर सके।

Shanti Sarup Sharma v. Commissioner of Income Tax, Haryana, 271
Rohtak & another (N.K. Agarwal, J.)

उसे योग्यता के आधार पर आवेदन पर विचार करना आवश्यक है। यदि शक्तियों के प्रयोग की शर्तों को पूरा किया जाता है, तो वह निर्धारिती के पक्ष में विवेक का प्रयोग करने के लिए बाध्य है।

(10) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नरेश कुमार गुप्ता बनाम आयकर आयुक्त, मेरठ और अन्य¹ मामले में अधिनियम की धारा 273ए के तहत एक मामले की जांच की। इस मामले में यह देखा गया कि आयुक्त ने याचिकाकर्ता को ब्याज की कुल राशि के लिए राहत देने से इनकार करने का कोई कारण दर्ज नहीं किया था। आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया गया और उन्हें शुरुवात से ब्याज कि छूट के दावे पर निर्णय लेने कि हिदायत दी गई।

(11) इसी तरह के मामले की जाँच बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा रोहित कुमार एंड कंपनी और अन्य बनाम एफ. जे. बहादुर, सी. आई. टी. और अन्य² मामले में भी की गई है। इस मामले में यह देखा गया है कि धारा 273ए ने आयकर आयुक्त को जुर्माना या ब्याज को माफ करने या कम करने का विवेकाधिकार प्रदान किया है। आवश्यक शर्तों का उल्लेख उस धारा के खंड (बी) और (सी) में किया गया है। दोनों खंडों में, आम कारक स्वेच्छा से और सद्भावना से आय का पूर्ण और सही प्रकटीकरण करना है।

(12) इस न्यायालय को संपत्ति कर अधिनियम, 1957 की धारा 18 बी के तहत एक मामले की जांच करने का भी अवसर मिला था। यह मामला प्रकाश देवी बनाम धन-कर आयुक्त, जालंधर³ का था। धन कर अधिनियम की धारा 18बी के प्रावधान अधिनियम की धारा 273ए के प्रावधानों के समान हैं। यह अभिनिर्धारित किया गया कि संपत्ति कर अधिनियम की धारा 18बी के तहत निम्नलिखित 5 शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है:—

- (1) कि अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (2) के तहत याचिकाकर्ता द्वारा उसे नोटिस जारी करने से पहले विवरणी दाखिल कर दी थी;
- (2) कि ये स्वेच्छा से और सद्भावना से दायर किए गए थे;
- (3) कि याचिकाकर्ता ने अपनी संपत्ति का पूरा और सही खुलासा किया था;
- (4) कि उसने अपनी कुल संपत्ति के मूल्यांकन से संबंधित जांच में सहयोग किया था; और
- (5) कि उसने परिणाम में देय कर या ब्याज के भुगतान के लिए भुगतान किया था या संतोषजनक व्यवस्था की थी जो किसी आदेश के अनुसार निर्धारण वर्षों के संबंध में अधिनियम के तहत देय थे”

(13) इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि एक निर्धारिती को ब्याज और जुर्माने की छूट की मांग करते समय यह दिखाना होगा कि उसने सभी शर्तों को पूरा किया है। ये शर्तें विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए प्रासंगिक हैं।

(14) सुप्रीम कोर्ट ने श्रीमती. हरबंस कौर बनाम धन-कर आयुक्त⁴ में धन कर अधिनियम की धारा 18 बी के तहत दंड की माफी के संबंध में एक मामले की जांच कि, जो अधिनियम की धारा 273 ए के समान

¹144 I.T.R. 556.

²190 I.T.R. 93.

³141 I.T.R. 122.

⁴224 I.T.R. 418.

है, जिसके तहत भी दंड को कम करने या पूरे दंड को माफ करने के लिए आयुक्त को समान विवेकाधिकार प्रदान किया गया है। विवेकाधिकार का प्रयोग उचित और निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए। यह देखा गया कि आयुक्त ने उस मामले में जुर्माने को पूरी तरह से माफ करने के बजाय जुर्माने को कम करने की शक्ति का सहारा लेने के लिए अपने स्वयं के कारणों को सांकेतिक किया। इन परिस्थितियों में, यह माना गया कि आदेशों में बताए गए कारण अन्यायपूर्ण और अप्रासंगिक नहीं थे।

(15) उच्चतम न्यायालय को फिर से पृथ्वीपाल सिंह (डी. ई. सी. डी.) बनाम धन-कर आयुक्त⁵ में इसी तरह के मामले की जांच करने का अवसर मिला। यह एक ऐसा मामला था जिसमें धन कर अधिनियम की धारा 18 (1) (ए) के तहत दंड लगाया गया था क्योंकि अपीलार्थी संबंधित निर्धारण वर्ष में अनुमत समय के भीतर धन की वापसी प्रस्तुत करने में विफल रहा था। देरी 10 महीने से लेकर 34 महीने तक थी। निर्धारिती द्वारा यह तर्क दिया गया था कि जुर्माना माफ किया जाना चाहिए क्योंकि उसने स्वेच्छा से और सद्भावना से कोई भी नोटिस जारी करने से पहले प्रासंगिक मूल्यांकन वर्षों के लिए धन कर विवरणी दाखिल करके अपनी कुल संपत्ति का पूरा खुलासा किया था। उन्होंने मूल्यांकन कार्यवाही से संबंधित जांच में भी सहयोग किया था। आयुक्त ने पाया था कि निर्धारिती ने विभिन्न आधारों पर कई स्थगन प्राप्त किए थे, जिनमें से कुछ मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करने से संबंधित थे। स्थगन की श्रृंखला को देखते हुए, आयुक्त ने महसूस किया कि निर्धारिती विभाग के साथ सहयोग करने में विफल रहा है। न्यायालय का विचार था कि आयुक्त शायद जुर्माने की राशि को कम नहीं करने में थोड़ा कठोर था, विशेष रूप से जब सभी निर्धारण वर्षों में शामिल कुल कर केवल लगभग रु 7, 000 थे। निर्धारिती ने किसी भी नोटिस जारी होने से पहले स्वेच्छा से धन कर विवरणी दाखिल की थी।

अदालत ने इसलिए जुर्माने को घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया।

(16) याचिकाकर्ता की दलीलों से सामने आने वाले मामले पर विचार करने पर यह पाया गया कि याचिकाकर्ता को 13 फरवरी, 1991 को मुआवजा और ब्याज मिला था। उन्होंने 31 मार्च, 1992 को संबंधित पिछले वर्षों के लिए आय विवरणी दाखिल की। इस प्रकार, उन्हें विवरणी दाखिल करने में लगभग एक वर्ष का समय लगा। वह अधिनियम के तहत एक नियमित निर्धारिती नहीं थे। वह मुआवजे की राशि पर आयकर का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी नहीं था। याचिकाकर्ता की याचिका में काफी बल है कि वह तब तक ब्याज की प्राप्ति का अनुमान नहीं लगा सकता जब तक कि यह अंततः सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता। इसलिए, याचिकाकर्ता को उस निर्धारण वर्ष में अग्रिम कर का भुगतान नहीं करना था जिसमें ब्याज अर्जित हुआ था। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता को पिछले वर्षों में आय विवरणी दाखिल करने में विफलता के लिए दंड के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 273ए में निर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा किया। उन्होंने निर्धारण अधिकारी द्वारा उन्हें नोटिस जारी करने से पहले विवरणी दाखिल की। उन्होंने स्वेच्छा से और अच्छे विश्वास के साथ रिटर्न दाखिल किया। उन्होंने कर निर्धारण योग्य अपनी आय का पूर्ण और सही खुलासा भी किया। उन्होंने मूल्यांकन के दौरान सहयोग किया और घोषित आय को मूल्यांकन अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया। कर की राशि का भुगतान याचिकाकर्ता द्वारा किया गया था। अतः यह स्पष्ट होगा कि याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 273ए के तहत सभी शर्तों को पूरा किया है। इस संदर्भ में, जुर्माना लगाना उचित नहीं पाया गया है। आयुक्त निष्पक्ष, न्यायसंगत और विवेकपूर्ण तरीके से विवेक का प्रयोग करने में विफल रहे।

⁵ 234 I.T.R. 45.

Shanti Sarup Sharma v. Commissioner of Income Tax, Haryana, 273
Rohtak & another (N.K. Agarwal, J.)

(17) चूंकि याचिकाकर्ता को फरवरी, 1991 में मुआवजा मिला था और उसने 31 मार्च, 1992 को विवरणी दाखिल की थी, इसलिए वह 1 अप्रैल, 1991 से 31 मार्च, 1992 तक अंतर-भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। पहले की अवधि के लिए ब्याज लेने में कोई औचित्य नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता ने एक वर्ष की अवधि के लिए विवरणी दाखिल करने में देरी को छोड़कर अधिनियम की धारा 273ए में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा किया है।

(18) नतीजतन, रिट याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है। अधिनियम की धारा 139 (8) और 217 के तहत ब्याज वसूलने वाले आदेश को आंशिक रूप से इस निर्देश के साथ रद्द कर दिया जाता है कि 1 अप्रैल, 1991 से 31 मार्च, 1992 तक एक वर्ष के लिए उपरोक्त धाराओं के तहत ब्याज लिया जाएगा। अधिनियम की धारा 271 (एल) (ए) के तहत जुर्माना लगाने वाले आदेश को रद्द कर दिया जाता है।

(19) लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

जे.एस.टी।

(अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय, वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके, और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।)

रवि अमितोज, प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी